ई–मेल / तत्काल / समयबद्ध

प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती / यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर / मानसिक चिकित्सालय,आगरा / बरेली / बलरामपुर चिकित्सालय / डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय / लोब बन्धु श्री राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा (अधीक्षक / अधीक्षिका), जिला (पुरुष / महिला / संयुक्त) चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–प्रशि0प्रको0 / 57 / 2023 / 2675 लखनऊ : दिनांकः 21/09/ 2023

विषयः–नीट पी0जी0–2023 के संबंध में जारी संशोधित कट–आफ के क्रम में एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को वेटेज प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / पी0जी0–2023 / 2315, दिनांक 21.09.2023 के साथ संलग्न मेडिकल काउन्सिल कमेटी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली की नोटिस संख्या–U-12021/02/2023-MEC दिनांक 20.09.2023 के साथ संलग्न भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या–U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) FTS:8238881) दिनांक 20.09.2023 द्वारा नीट पी0जी0–2023 के संबंध में संशोधित कट–ऑफ जारी की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुसार संशोधित कट–ऑफ के क्रम में प्रदेश के विभिन्न रिमोट एवं डिफीकल्ट एरिया के सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों (03 वर्षीय डी0एन0बी0 डिग्री / 02 वर्षीय डी0एन0बी0 डिप्लोमा) की सूची शासनादेश संख्या–02 / 2022–आई / 139792 / 2022–5–3001 / 1 / 2022–3, दिनांक 10.02.2022 एवं शासनादेश संख्या–7 / 2022–आई / 211779 / 2022–5–3001 / 1 / 2022–3, दिनांक 10.09.2022 में दिये गये निर्देशानुसार जिन चिकित्साधिकारियों द्वारा न्यूनतम अर्हता अंक परसेन्टाईल कम होने के पश्चात प्राप्त कर लिये है, के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप पर वॉछित अभिलेखों को अपने अधीन चिकित्साधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुये एवं उनके आवेदनों को तैनाती स्थान से संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन के उपरान्त आवेदन पत्र को प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशालय के चतुर्थ तल स्थित प्रशिक्षण अनुभाग में **दिनॉक 23.09.2023 को अपरान्ह 05:00** बजे तक व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर / ई–मेल :– ***dgmhtraining@gmail.com*** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय अन्यथा की दशा में कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / 57 / 2023 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग–3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज, चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट :–***dgmhup.gov.in*** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, महामंत्री, पी0एम0एच0एस0 एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, अनुरक्षण सेल, (मानीटरिंग सेल), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

D:\Yatiram\Letter.doc

ई–मेल / तत्काल / समयबद्ध

प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती / यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर / मानसिक चिकित्सालय,आगरा / बरेली / बलरामपुर चिकित्सालय / डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय / लोब बन्धु श्री राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा (अधीक्षक / अधीक्षिका), जिला (पुरुष / महिला / संयुक्त) चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–प्रशि0प्रको0 / 57 / 2023 / लखनऊ : दिनांकः 21/09/2023

विषयः–नीट पी0जी0–2023 के संबंध में जारी संशोधित कट–आफ के क्रम में एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को वेटेज प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / पी0जी0–2023 / 2315, दिनांक 21.09.2023 के साथ संलग्न मेडिकल काउन्सिल कमेटी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली की नोटिस संख्या–U-12021/02/2023-MEC दिनांक 20.09.2023 के साथ संलग्न भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या–U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) FTS:8238881) दिनांक 20.09.2023 द्वारा नीट पी0जी0–2023 के संबंध में संशोधित कट–ऑफ जारी की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुसार संशोधित कट–ऑफ के क्रम में प्रदेश के विभिन्न रिमोट एवं डिफीकल्ट एरिया के सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों (03 वर्षीय डी0एन0बी0 डिग्री / 02 वर्षीय डी0एन0बी0 डिप्लोमा) की सूची शासनादेश संख्या–02 / 2022–आई / 139792 / 2022–5–3001 / 1 / 2022–3, दिनांक 10.02.2022 एवं शासनादेश संख्या–7 / 2022–आई / 211779 / 2022–5–3001 / 1 / 2022–3, दिनांक 10.09.2022 में दिये गये निर्देशानुसार जिन चिकित्साधिकारियों द्वारा न्यूनतम अर्हता अंक परसेन्टाईल कम होने के पश्चात प्राप्त कर लिये है, के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप पर वॉछित अभिलेखों को अपने अधीन चिकित्साधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुये एवं उनके आवेदनों को तैनाती स्थान से संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन के उपरान्त आवेदन पत्र को प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशालय के चतुर्थ तल स्थित प्रशिक्षण अनुभाग में **दिनॉक 23.09.2023 को अपरान्ह 05:00** बजे तक व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर / ई–मेल :– ***dgmhtraining@gmail.com*** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय अन्यथा की दशा में कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / 57 / 2023 / 2676-81 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग–3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज, चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट :–***dgmhup.gov.in*** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, महामंत्री, पी0एम0एच0एस0 एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश. लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, अनुरक्षण सेल, (मानीटरिंग सेल), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

D:\Yatiram\Letter.doc

डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम 2023 में प्रवेश हेतु

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) FTS:8238881) दिनांक 20.09.2023 की सूचना के अनुसार नीट पी0जी0–2023 के संशोधित कट–आफ स्कोर के पश्चात प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के (इन सर्विस चिकित्सकों हेतु) आरक्षित 50 प्रतिशत डी.एन.बी. पोस्ट एम.बी.बी.एस. 03 वर्षीय डिग्री सीट एवं 02 वर्षीय डिप्लोमा से सम्बन्धित आवेदन का प्रारूप :–

कोर्स का विवरण जो लागू हो उन पर टिक करें।

i. डी0एन0बी0 पोस्ट एम0बी0बी0एस0 सीट

03 वर्षीय डिग्री सीट ☐
02 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स ☐

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. चिकित्सा अधिकारी का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म तिथि .....आयु 31 दिसम्बर, 2022 को 45 वर्ष से अधिक न हो
   (हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. वरिष्ठता क्रमांक.....ई.एच.आर.एम.एस.कोड.....
5. स्थाई पता .....जन्पद .....
6. वर्तमान पता .....जन्पद .....
7. धारित पद नाम ..... तैनाती स्थल ..... जनप्द .....
8. ई–मेल आई0डी0 ..... मो0 नं0 1..... 2.....
9. *पी.एम.एच.एस. संवर्ग में नियुक्ति/सेवा योगदान का विवरण (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
   अ. नियुक्ति तिथि ..... ब. नियुक्ति शासनादेश संख्या.....
   कार्यभार तिथि ..... (प्रथम योगदान प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
10. *नीट पी0जी0–2023 की परीक्षा सम्बन्धी सूचना (समस्त प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
    क. रोल नं0 (अंकों में) .....
    ख.रोल नं0 (शब्दों में) .....
    ग. रैंक ..... घ. प्राप्तांक/पूर्णांक. .....
11. *आरक्षण श्रेणी (जो लागू हो उसमें √ करें) (सक्षम प्राधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
    सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ दिव्यांग ☐ ईडब्लूएस ☐

12. *एम0बी0बी0एस0 का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)

कोर्स (एम.बी.बी.एस.)	मेडिकल कालेज का नाम	पता (जनपद, प्रदेश एवं देश सहित)	वर्ष कब से	कब तक

13. *मेडिकल काउसिंल से पंजीकरण का विवरण–

काउसिंल का नाम व प्रदेश	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण की वैधता

14. *पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में विगत पांच वर्षों की तैनातियों का विवरण (नियंत्रण अधिकारी से सेवा पुस्तिका से विवरण) सत्यापित करा कर संलग्न करें)

क्रम	पद नाम	तैनाती स्थल	जनपद	तैनाती (कब से)	कब तक
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

कुल सेवा अवधि वर्ष ..... माह..... दिन .....

15. *क्या किसी प्रकार की विभागीय/सर्तकता जांच अथवा अन्य कोई कार्यवाही प्रचलित तो नहीं है अथवा ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य तो नहीं है, जो पात्रता हेतु बाधक हो, विवरण दिया जाये:– हाँ/नहीं
(यदि हाँ तो उसका विवरण अलग से संलग्न करें) संलग्नक संख्या.....

16. *क्या विगत तीन वर्ष में नीट पी0जी0 की परीक्षा में चयनित हुए है, हाँ/नही
यदि हाँ तो विवरण दें वर्ष.....रोल नं0..... रैंक..... ...विषय .....

17. *क्या पूर्व तीन वर्षों में परास्नातक कोर्स हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया गया है। हाँ/नहीं
(यदि हाँ तो विवरण दें) वर्ष ..... पत्रांक व दिनांक.....

18. विगत पांच वर्षों में चिकित्सालयों/एफ0आर0यू0/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में तैनाती के दौरान ओ.पी.डी. रजिस्टर पर आधारित दैनिक डायरी रजिस्टर के आधार पर उपचारित रोगियों की संख्या का माहवार/वर्षवार विवरण:–

वर्ष	उपचारित वाहय रोगियों की संख्या	उपचारित अन्तः रोगियों की संख्या	कुल उपचारित रोगियों की संख्या
1	2	3	4

19. क्या आप डिबार श्रेणी में आते हैं। हाँ/नहीं

20. चिकित्सकों की काउसिंलिंग की कार्यवाही महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा की जायेगी। डी0एन0बी0 की ओपेन सीटों का आवंटन एन0बी0ई0 नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा, परन्तु समय–समय पर एन0बी0ई0 द्वारा जारी निर्देश मान्य होगा।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूं कि :–

1. मेरे द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के (इन सर्विस चिकित्सकों हेतु) आरक्षित 50 प्रतिशत डी.एन. बी. पोस्ट एम.बी.बी.एस. 03 वर्षीय डिग्री एवं 02 वर्षीय डिप्लोमा सीट के लिये शासनादेश संख्या–02/2022–आई/139792/2022–5–3001/1/2022–3, दिनांक 10.02.2022 एवं शासनादेश संख्या–7/2022–आई/211779/2022–5–3001/1/2022–3, दिनांक 10.09.2022 में प्राविधान्ति व्यवस्थाओं/निर्देशों का अध्ययन भली–भांति कर लिया गया है, जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूं।
2. मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय/सर्तकता जांच नही चल रही है तथा मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है जो मेरी उपरोक्त कोर्स हेतु बाधक हो।
3. मेरा/मेरी आयु दिनांक 31.12.2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं है।
4. मैं उपरोक्त कोर्स जिसके लिए मैंने आवेदन किया है पर अपने व्यय पर अथवा राजकीय नियमों के अंतर्गत देय धनराशि पर अध्ययन करने की सहमति प्रदान करता/करती हूं।
5. मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अथवा नीट पी0जी0 परीक्षा बोर्ड द्वारा कभी भी डिबार नहीं किया गया हूं।
6. मैं परास्नातक डिग्री कोर्स के बाद अपनी विशेषज्ञता की सेवायें नियमित रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जैसा कि विभागीय अवश्यकता हो 10 वर्ष तक निरन्तर दूंगा/दूंगी। विचलन की दशा में मैं विभाग को कुल धनराशि **रूपये एक करोड़** अदा करूंगा/करूंगी अन्यथा विभाग को यह अधिकार होगा कि विभाग मेरी चल, अचल एवं पैतृक सम्पत्ति से राजस्व नियमों के अंतर्गत धनराशि रूपये एक करोड़ वसूल कर लें, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. मैं परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा कोर्स हेतु अंतिम काउसिंलिंग में आवंटित विधा/कालेज में कोर्स पूर्ण करूंगा/करूंगी। यदि मैं अंतिम काउसिंलिंग के बाद या कोर्स को पूर्ण करने से पूर्व बीच में छोड़ता हूं तो मै विभाग को कुल धनराशि **रूपये दस लाख** अदा करूंगा/करूंगी अन्यथा विभाग को यह अधिकार होगा कि विभाग मेरी चल, अचल एवं पैतृक सम्पत्ति से राजस्व नियमों के अंतर्गत धनराशि रूपये दस लाख वसूल कर लें, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. मैंने आवेदन पत्र के साथ वांक्षित अभिलेख जिन बिन्दुओं संख्या–09 से 17 तक जिन पर * बना है मूलरूप/स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर रहा/रही हूं यदि कोई अभिलेख अपूर्ण पाये जाते हैं, तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा।
9. आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य पायी जाती है तो मेरा आवेदन अथवा प्रवेश विभाग द्वारा रद्द कर दिया जाये, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
वर्तमान तैनाती का स्थान

प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
के हस्ताक्षर मुहर सहित

सभी अभ्यर्थियों द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पक्ष में बाण्ड निम्न् प्रारूप रू0–100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है :–

अनुबन्ध पत्र

मैं डा0..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी..... जिला.....उत्तर प्रदेश सम्प्रति कार्यरत/पद चिकित्सा अधिकारी .....जिला.....एवं डी0एन0बी0 03 वर्षीय डिग्री सीट हेतु (विशेषज्ञता ....) राजकीय जिला चिकित्सालय/सरकारी चिकित्सा संस्थान ..... (इस के बाद अभ्यर्थी (Candidate) कहा जायेगा)

एवं

श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी..... ..... जिला..... उत्तर प्रदेश (इसके बाद प्रतिभू (Surety) कहा जायेगा)

यह कि हम अभ्यर्थी एवं प्रतिभू पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0 03 वर्षीय डिग्री) में अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित अनुबन्ध से अनुबन्धित होते हैं :–

1. यह कि अभ्यर्थी का चयन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डी0एन0बी0 03 वर्षीय डिग्री एवं 02 वर्षीय डिप्लोमा के अध्ययन हेतु हुआ है।
2. यह कि हम अभ्यर्थी एवं प्रतिभू शासनादेश संख्या–02/2022–आई/139792/ 2022–5–3001/1/2022–3, दिनांक 10.02.2022 एवं शासनादेश संख्या–7/ 2022–आई/211779/2022–5–3001/1/2022–3, दिनांक 10.09.2022 का समुचित अध्ययन कर लिये हैं।
3. यह कि मैं अभ्यर्थी यह पूर्ण रूप से जानता हूं कि यदि मुझे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डी0एन0बी0 03 वर्षीय डिग्री अथवा 02 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, तो मुझे/मेरे उत्तराधिकारियों के मध्य उक्त शासनादेश संख्या–02/2022–आई/ 139792/2022–5–3001/1/2022–3, दिनांक 10.02.2022 में विहित शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।
4. यह कि मैं प्रतिभू ने उक्त शासनादेश संख्या–02/2022–आई/139792/2022–5–3001/1/2022–3, दिनांक 10.02.2022 एवं शासनादेश संख्या–7/ 2022–आई/211779/2022–5–3001/1/2022–3, दिनांक 10.09.2022 की प्रति उपरोक्त अभ्यर्थी को उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त शासनादेश के किन्ही भी प्रस्तर/शर्त की विचलन की दशा में मैं प्रतिभू या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि/पद के उत्तराधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी से उक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु विधिक कार्यवाही करें।
5. यह कि उपरोक्त अनुबन्ध पत्र दोनों पक्षों में बिना किसी जोर, दबाव एवं स्वच्छ मन चित् एवं स्वेच्छा से आज दिनांक .....को निम्नलिखित साक्ष्यों के समक्ष हस्ताक्षरित किये।
6. यह कि विवाद की दशा में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
7. यह कि समस्त विवादों का विधिक क्षेत्राधिकार लखनऊ स्थिति सक्षम न्यायालय में होगा।

दिनांक .....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी
(नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या)
हस्ताक्षर प्रतिभू
(नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या)

साक्षी नं0–1
नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या (स्वप्रमाणित)
साक्षी नं0–2
नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या (स्वप्रमाणित)

नियंत्रक अधिकारी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 ..... द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में भरे गये सभी तथ्यों का मेरे द्वारा भली–भांति अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है तथा क्रमांक–18 में उपचारित रोगियों की संख्या चिकित्सालय के ओ0पी0डी0/इनडोर रजिस्टर में अंकित अभिलेखों के आधार पर अंकित की गयी है, जिसका सत्यापन किया जाता है। डा0 ..... दिनांक ..... से निरन्तर शासकीय सेवा में सेवारत् है। इनकी सेवायें अभिलेखीय आधार पर निरन्तर एवं संतोषजनक रही है तथा अभिलेखों के आधार पर इनके विरूद्ध ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कोई बाधा हो।

प्रतिकूल तथ्य का विवरण

क्र0सं0	वेतन आहरण में व्यवधान या विभागीय/सर्तकता जांच	कारण

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
के हस्ताक्षर मुहर सहित

नियंत्रक अधिकारी का प्रमाण–पत्र

सभी अभ्यर्थियों पर लागू है।

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 ..... पदनाम.....
नियुक्ति स्थान.....: द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में भरे गये तथ्यों का मेरे द्वारा भलीभांति अभिलेखों से मिलान कर परीक्षण कर लिया गया है। आवेदन पत्र के पृष्ठ–2 के क्रमांक–14 व 18 में दी गयी पोस्टिंग सम्बन्धी सूचना एवं उपचारित रोगियों की संख्या क्रमशः सेवा पुस्तिका चिकित्सालय के ओ0पी0डी0/इनडोर रजिस्टर में अंकित अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। इनकी सेवायें अभिलेखीय आधार पर संतोषजनक रही है तथा अभिलेखों के आधार पर इनके विरूद्ध ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कोई बाधा हो। (यदि प्रतिकूल तथ्य हों तो विवरण लिखें)

डा0 ..... ने विभाग में नियुक्ति की तिथि से अब तक कुल ..... वर्ष तक की नियमित सेवा की है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
के हस्ताक्षर मुहर सहित

निर्देशः–

1. अभ्यर्थी सभी सूचनाएँ सम्बन्धित शासनादेश पढ़ कर आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। गलत या अस्पष्ट सूचना के कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त होने का सम्पूर्ण उत्तदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
2. *क्रम संख्या–09 से 17 तक के बिन्दुओं पर सूचना स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र/नियंत्रण अधिकारी से सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. क्रमांक–18 पर अंकित उपचारित रोगियों की संख्या की पुष्टि संबंधित चिकित्सालय के नियंत्रक चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में उपचारित रोगियों का माहवार/वर्षवार (तीन वर्षों का अलग–अलग) विवरण का सत्यापन कराकर इस प्रपत्र के साथ अलग से मूल रूप में संलग्न किया जाये।
4. स्नातकोत्तर अध्ययन में चिकित्सा अधिकारी की अधिकतम आयु 45 वर्ष दिनांक 31.12.2022 तक होनी चाहिए, 45 वर्ष से अधिक आयु होने की दशा में आवेदन पत्र मान्य नहीं होगें।
5. स्नातकोत्तर अध्ययन में चिकित्सा अधिकारी की सेवा की गणना कट–ऑफ डेट दिनांक 31.12.2022 तक मानी जायेगी।
6. डी0एन0बी0 पाठयक्रम पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित चिकित्सा अधिकारी को न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा अनिवार्य रूप से राजकीय चिकित्सालयों में करनी होगी। इससे विचलन की स्थिति में रूपया–1,00,00,000/– (रूपया एक करोड़ मात्र) की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का मूल स्वरूप बाण्ड (संलग्न प्रारूप पर) प्रस्तुत करना/करनी होगी। उक्त धनराशि को दो बराबर जमानतदार, जो विभागीय अधिकारी/कर्नचारी हो, जिनकी दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि बाकी हो, को गारेन्टर के रूप में गारन्टी देनी होगी।
7. अभ्यर्थी परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा कोर्स हेतु अंतिम काउन्सिलिंग में आवंटित विधा/कालेज में कोर्स पूर्ण करेगें। यदि अभ्यर्थी अंतिम काउसिंलिंग के बाद या कोर्स को पूर्ण करने से पूर्व बीच में छोडता है, तो अभ्यर्थी विभाग को कुल धनराशि रु0–10,00,000/– (रूपया दस लाख मात्र) अदा करेंगे, अन्यथा की स्थिति में विभाग को यह अधिकार होगा कि विभाग अभ्यर्थी की चल, अचल एवं पैतृक सम्पत्ति से राजस्व नियमों के अंतर्गत धनराशि रूपया दस लाख वसूल कर लें, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. 03 वर्ष से कम सेवा करने वाले चिकित्सकों के आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किये जायेंगे।
9. पृष्ठ–1, 2, 3, 4, 5, व 6 सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जायेगा।

21.09.2023

ई–मेल / महत्त्वपूर्ण / आज ही

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

संख्याः एम0ई0–3 / पी0जी0–2023 / 2315 लखनऊः दिनांक 21/9/ 2022

विषयः नीट पी0जी0 2023 के संबंध में जारी संशोधित कट–ऑफ के कम में एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को वेटेज प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि मेडिकल काउन्सिल कमेटी, भारत सरकार, के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली की नोटिस संख्या–U-12021/02/2023-MEC DATED 20-9-2023 के साथ संलग्न भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विमाग के पत्र संख्या– U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) (FTS:8238881) DATED 20-9-2023 द्वारा नीट पी0जी0 2023 के संबंध में संशोधित कट–ऑफ जारी की गयी है **(छायाप्रति संलग्न)**।

अतः नीट पी0जी0 2023 के माध्यम से चयनित एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित कट–ऑफ के कम में वेटेज प्रदान करते हुए एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा / डी0एन0बी0 हेतु अर्ह चिकित्साधिकारियों की पृथक–पृथक सूची हिन्दी **(KrutiDev 10)** तथा अंग्रेजी **(Times New Roman)** पर हार्ड एवं साफ्ट पर ई–मेल **dgmesec3@gmail.com** पर **आज ही** इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि नीट पी0जी0 2023 के मॉप–अप राउण्ड की प्रकिया दिनांक 18 सितम्बर 2023 से प्रारम्भ की जा चुकी है, अतः प्रकरण मे समयबद्वता अपेक्षित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

संख्याःएम0ई0–3 / पीजी–2023 / तद्‌दिनांक /

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

Dr. ... JD / YATI RAM

21.9.2023

A.O / Shri Yati Ram
श्री हनुमान जी
21/9/23

21/9/023

File No: U-12021/07/2023-MEC(Pt.-I) (PIS:- 8238881)
भारत सरकार / Government of India
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग / Department of Health & Family Welfare
चिकित्सा शिक्षा नीति / Medical Education Policy

Room No. 514A, A Wing,
Nirman Bhawan New Delhi
Dated 20-09-2023

To,

The Secretary,
National Medical Commission,
Pocket-14, Sector-8, Dwarka,
New Delhi – 110 077.

Sub:- Reduction of qualifying percentile for NEET-PG, 2023.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above mentioned subject and to say that the recommendation for reduction in qualifying percentile for Post Graduate Courses for 2023 (NEET-PG 2023) has been considered in the Ministry. Approval of competent authority is hereby conveyed for reduction of qualifying percentile for NEET-PG 2023 to 'Zero' across all categories.

2. This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

Signed by
Sunil Kumar Gupta
(Sunil Kumar Gupta)
Date: 20-09-2023
Under Secretary to Government of India
Tele : 23061986
E-mail Id:-sunil.gupta35@nic.in

Copy to:-

1. The Executive Director, National Board of Examination, Ansari Nagar, Mahatma Gandhi Marg, New Delhi- 110029 for necessary action to report the revised results/list to MCC, DGHS.

2. Chairman, MCC for further necessary action in Counselling.

3. DDG (ME)

Copy for information to:

1. Principal Secy/Secretary ME of all states/UTs
2. Director(ME), All States/UTs.

Office of MCC
Email: adgme@nic.in

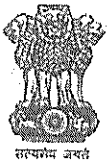

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
MEDICAL COUNSELLING COMMITTEE
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108

Ref. U-12021/02/2023-MEC

Dated: 20-09-2023

NOTICE

Urgent Attention all Candidates participating in NEET-PG Counselling 2023:

It is for the information to candidates that vide Letter No. U-12021/07/2023-MEC (Pt-I) dated 20.09.2023 (Copy attached below), the qualifying percentile for PG Courses (Medical/ Dental) for NEET PG Counselling 2023 has been reduced to **'ZERO'** across all categories by MoHFW.

In this regard, it is mentioned that Fresh Registration & Choice Filling for Round-3 of PG Counselling will be opened again for candidates who have become eligible after reduction of percentile. Candidates who have become freshly eligible can register and participate in Round-3 of counselling. The candidates who are already registered need not register again. However, they will be allowed to edit their choices.

A fresh schedule for Round-3 onwards for PG Counselling will be put up on MCC website soon. Candidates are advised to be in touch with MCC website for further updates.

Notice posted on: 20-09-2023

संख्या-7/2022-आई/211779/2022-5-3001/1/2022-3

प्रेषक,

रविन्द्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10/09/2022

विषय: पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्हताएं एवं शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प/56/2016/1839, दिनांक 08.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आपके उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-I/139792/2022, 5-3001/1/ 2022-3-, दिनांक 10.02.2022 के प्रस्तर-3 के अंश-2 में निर्धारित नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन0ई0ई0टी0) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आवेदन करने वाले 10 चिकित्सकों को नीट परीक्षा की मेरिट के आधार पर अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्धारित 10 चिकित्सकों की सीमा को समाप्त किया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश में सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के स्थान, आकस्मिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत, कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार किसी भी प्रकरण में अनापत्ति जारी करने से इन्कार कर सकती है।

4. राज्य के बाहर की संस्थाओं में भी, इस प्रतिबन्ध के साथ कि अध्ययन पूर्ण होते ही उ0प्र0 राज्य सरकार के अधीन कार्यभार तत्काल ग्रहण किया जायेगा। अत: यह सुनिश्चित कर कि सम्बन्धित राज्य में परास्नातक करने के पश्चात् एक निर्धारित अवधि तक उक्त राज्य में सेवा करने का कोई प्रतिबन्ध/बाध्यता नहीं है, अनापत्ति जारी की जा सकती है। यदि अध्ययन पूर्ण करने के तत्काल पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित चिकित्सक का लियन (धारणाधिकार) समाप्त समझा जायेगा।

शासनादेश संख्या-I/139792/2022, 5-3001/1/2022-3-, दिनक 10.02.2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय
रविन्द्र
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, प्रशिक्षण, (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अवनीन्द्र कुमार शुक्ल
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in में सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-02/2022-आई/139792/2022-5-3C01/1/2022-3

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10/02/2022

विषय: पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्हतायें एवं शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम(डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन0ई0ई0टी0)/अन्य समकक्ष परीक्षा में प्रवेश हेतु निम्नवत् उपबन्धों के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी :-

(1) अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय/सर्तकता जांच अथवा आपराधिक केस प्रचलित नहीं होना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो/स्थायीकरण आदेश निर्गत कर दिया गया हो एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में अभ्यर्थी द्वारा की गई सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक होनी चाहिए।

(3) अभ्यर्थी द्वारा कोई स्नातकोत्तर, मेडिकल डिप्लोमा/डिग्री अध्ययन पूर्व में न किया गया हो तथा वर्तमान में भी न किया जा रहा हो।

(4) अभ्यर्थी को अध्ययन सत्र समाप्त होने के बाद तत्काल अपने पूर्ववर्ती तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर थी तो अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चिकित्साधिकारी की अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, जिसकी गणना कट ऑफ तिथि आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष 31 दिसम्बर पर की जायेगी।

(6) अध्ययन की अवधि को सेवा अवधि माना जायेगा।

(7) पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति लेकर पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। तीन से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को पुनः परीक्षा में बैठने हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. पी0एम0एच0एस संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों हेतु आरक्षित जिला चिकित्सालयों में डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0/पोस्ट डिप्लोमा/एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नवत अतिरिक्त अनुबन्ध लागू होंगे :-

(1) डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0/पोस्ट डिप्लोमा/एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा) कोर्स हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी सेवायें विभाग में 03 वर्ष पूर्ण हो गयी हों।

(2) डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 10 वर्ष की निरन्तर सेवा करनी होगी, विफलता की स्थिति में उसे धनराशि रू0- 01 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार को करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस हेतु विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरा होना चाहिए।

(3) डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की अंतिम काउन्सिलिंग के बाद यदि अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी को धनराशि रू0-10 लाख का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

(4) डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी अध्ययन बीच में छोड़ देता है तो अभ्यर्थी को धनराशि रू0-10 लाख का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

(5) डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी अध्ययन बीच में छोड़ देता है तो उसे किसी पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा के लिये अगले 03 वर्षों के लिये अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) चिकित्सालयों में डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार व्यवस्था इत्यादि हेतु वित्त पोषण पूर्व की भांति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जाएगा।

(7) डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की अध्ययन अवधि में चिकित्सक को वेतन देय होगा, परन्तु यदि वह शिक्षण संस्थान से कोई वेतन अथवा भत्ता लेता है तो उसे विभाग द्वारा वेतन देय नहीं होगा।

3. पी0एम0एच0एस संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों हेतु प्रदेश के जिला चिकित्सालयों से इतर अन्य चिकित्सीय संस्थानों में एम0एस0 (सर्जरी), एम0डी0 (मेडिसिन), एम0एस0 (आर्थोपेडिक्स), एम0डी0 (चेस्ट), एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स), एम0डी0 (स्किन), एम0डी0 (पैथालाजी), एम0एस0 (गायनोकोलाजी), एम0डी0 (एनेस्थीसिया), एम0डी0 (रेडियोलॉजी) एवं एम0डी0, (जूरिसप्रुडेन्स) में डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0/पोस्ट डिप्लोमा / एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नवत् अतिरिक्त उपबन्ध लागू होंगे :-

(1) प्रदेश के जिला चिकित्सालयों से इतर अन्य चिकित्सीय संस्थानों में उपरोक्त विषयों में डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0/पोस्ट डिप्लोमा/ एम0बी0बी0एस0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

डिप्लोमा) कोर्स हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे , जिनकी सेवाऐं विभाग में 05 वर्ष पूर्ण हो गयी हों।

(2) नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन 0 ई 0 ई 0 टी 0) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आवेदन करने वाले 10 चिकित्सकों को नीट परीक्षा की मेरिट के आधार पर अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि प्रथम बार अनुमति देने के उपरान्त सभी 10 स्थान नहीं भरते हैं तो तदोपरान्त आवेदन करने वाले चिकित्सकों को आवेदन प्राप्त होने के क्रम में प्रथम आवत प्रथम पावत आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनकें द्वारा पांच वर्ष की सेवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , उ 0 प्र 0 में पूर्ण करने के उपरान्त स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री) में प्रवेश लिया जायेगा] उनका वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 2 भाग- 2 से 4 के अध्ययन अवकाश के अनुसार 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं 01 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। अध् ययन अवकाश की अवधि में चिकित्साधिकारी को उपनियम- 146 क के अनुसार अर्द्ध औसत वेतन देय होगा। मानदेय भी देय होगा।

(4) अभ्यर्थी को विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरना होगा। उक्त बाण्ड में चिकित्साधिकारियों को इस आशय का उल्लेख तथा यह घोषणा करना अनिवार्य होगा कि पी 0 जी 0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त उनके द्वारा 10 वर्ष की निरन्तर सेवा राज्यपोषित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चिकित्सालयों में दी जाएगी। इससे विचलन की स्थिति में उन्हें रू 0-01 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी।

(5) यदि कोई चिकित्साधिकारी स्नात्कोत्तर मेडिकल कोर्स अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है तो उसे अगले 05 वर्षों के लिए किसी पी 0 जी 0 डिग्री/डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 कोर्स के 06 माह के प्रशिक्षण हेतु निम्नवत अतिरिक्त उपबन्ध लागू होंगे :-

(1) पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 कोर्स हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी सेवाऐं विभाग में 03 वर्ष पूर्ण हो गयी हों।

(2) अभ्यर्थी की अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश पर माना जायेगा तथा वर्तमान में मिल रहे वेतन भत्ते व अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे। मानदेय/स्टाइपेन्ड देय होगा।

(3) अभ्यर्थी को विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरना होगा। उक्त बाण्ड में चिकित्साधिकारियों को इस आशय का उल्लेख तथा यह घोषणा करना अनिवार्य होगा कि वे पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त उसके द्वारा 10 वर्ष की निरन्तर सेवा राज्यपोषित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चिकित्सालयों में देंगे। इससे विचलन की स्थिति में उन्हें रू0-50 लाख की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नात्कोत्तर (डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6. यह शासनादेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,
अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, प्रशिक्षण, (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
डा0 मन्नान अख्तर
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।